ACRA
24/2/14

आदेश

सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 279/F/14/XVIII-(2)/15(32)/A/2013 दिनांक 18–2–2014 के अनुकम में जिलाधिकारी चमोली एतद्‌संदर्भित आदेश संख्या –र–4263/तेरह–25(2012–-–2013) गोपेश्वर दिनांक 19 फरवरी 2014 जिसके द्वारा दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के पुर्ननिर्माण एवं मरोम्मत कार्यो हेतु परगना स्तर पर उप जिलाधिकारी को परियोजना कियान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) जो विशेष पुनर्निमाण इकाई " से ज्ञात है, को मुख्य कार्य अधिकारी नामित किया गया है।

योजनाओ के प्रकलनों पर पी0आई0क्यू0 की संस्तुति के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार प्राकलनों पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि (80%)	कार्यदायी संस्था	कार्य की आवश्यकता/महत्व
1	2	3	4	5	6
1	चटिग्याला पेयजल योजना का मरम्मत कार्य	3.00	2.40	अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम गोपेश्वर	ग्राम चटिग्याला में पेयजल की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए
2	जैटी तल्ली सिंचाई नहर की मरम्मत कार्य	4.00	3.20	अधि0अभियन्ता सिचाई खण्ड चमोली	क्षतिग्रस्त सिचाई नहर से लगभग 13 है0 भूमि सिचाई से प्रभावित हो रही है अतः सिचाई की आवश्यकता को देखते हुए तत्काल कार्य करवाया जाना है।
3	सिमली में बाढ़ सुरक्षा हेतु कार्य	14.00	11.20	अधि0अभियन्ता सिचाई खण्ड चमोली	डिम्मर सैण के आवासीय क्षेत्र की बाढ़ से सुरक्षा हेतु
4	बणसोली पेयजल योजना का मरम्मत कार्य	3.50	2.80	खण्ड विकास अधिकारी कर्णप्रयाग	पेय जल की आवश्यकता को देखते हुए शीघ्र कार्य करवाया जाना है
5	मल्ला सेरा तोक के सेरा ग्राम में सिचाई नहर मरम्मत कार्य	1.00	0.80	अधि0अभि0 लघु सिंचाई खण्ड चमोली	सिचाई की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए शीघ्र कार्य करवाया जाना है।
	योग–	***25.50***	***20.40***		

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबनधो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1– उक्त प्रस्तावित कार्यो पर 25.00 लाख (पच्चीस लाख) तक के कार्य वर्क के आधार पर सम्पादित किये जायेगे। 25.00 (पच्चीस लाख) से 100.00 लाख (एक करोड) तक के कार्यो हेतु निविदा आमन्त्रित की जायेगी एवं उपरोक्त निविदा की अवधि 07 दिन की होगी।

2– कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जाने वाले कार्यो की गुणवत्ता एवं तकनीकी मानको का पूर्ण रूप से ध्यान दिया जायेगा। इसके लिए कार्यदायी संस्था गुणवत्ता के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

3– कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य न्यूनतम अवधि से पूर्ण कर लिया जायेगा।

4– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य सम्पन्न करने के उपरान्त कार्य / योजना की फोटो उपलब्ध करा दी जायेगी ताकि कार्य की सत्यता की प्रमाणीकरण किया जा सकें।

5– किये गये कार्य का भुगतान करने से पूर्व मानकानुसार कार्य की नाम जोख एवं गुणवत्ता का पूर्ण ध्यान दिया जाना आवश्यक होगा। स्वीकृत धनराशि में यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उस धनराशि को तत्काल मुख्य कार्य अधिकारी (पी0आई0यू0) के खाते में एक सप्ताह अन्दर जमा करना आवश्यक होगा।

उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग

6— आगणन में उल्लिखित दरो का विशलेषण सम्बन्धित विभाग के तकनीकी अभियन्ता से दरो की प्रमाणिकता अवश्य करा ली जाय।

7— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि रखते हुए प्रचलित दरों /विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो के आंगणन सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8— वर्कचार्ज पर कार्य दिये जाने से पूर्व ठेकेदार की क्षमता का आंकलन भालि भांति कर लिया जाय।

9— कार्यो का आवंटन इस प्रकार किया जाय कि स्वीकृति सभी कार्यो पर कार्य प्रारम्भ साथ—साथ किया जाय तथा समय से सभी कार्य पूर्ण हो सकें।

10— प्रत्येक योजना पर 20 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कार्यदायी संस्था द्वारा मेजरमैन्ट बुक , किये गये कार्य के फोटोग्राफस तथा कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

11— कार्य पूर्ण होने पर कार्ययोजना का नाम, लागत,दिनांक तथा मद का नाम , सीमेन्ट, कॅक्रीट/बोर्ड पर अंकित किया जायेगा, जिसकी पुष्टि से फोटोग्राफ की प्रस्तुत किये जायेगें।

मुख्य कार्याधिकारी (पी0आई0यू0)
उप जिलाधिकारी,कर्णप्रयाग।

कार्यालय मुख्य कार्याधिकारी पी0आई0यू0/उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग।

संख्या : 04 /ना0ना0— आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग/दिनांकः 21 फरवरी 2014

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम गोपेश्वर/ अधिशासी अभियन्ता सिचाई खण्ड चमोली/ खण्ड विकास अधिकारी कर्णप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता लघु सिचाई खण्ड चमोली ।

2— तहसीलदार कर्णप्रयाग।

3— खण्ड विकास अधिकारी /उप कोषाधिकारी कर्णप्रयाग।

4— सहायक अभियनता /सदस्य पी0आई0यू0 लो0नि0वि0 /सिचांई विभाग ।

5— मा0 विधायक विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग।

6— जिलाधिकारी चमोली।

7— आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौडी।

8— जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र चमोली को बेवसाइट पर अपलौड करने हेतु

मुख्य कार्याधिकारी (पी0आई0यू0)
उप जिलाधिकारी,
कर्णप्रयाग।